संख्या-12/62-2-2018-2/3(14)/2017

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लधु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 25 जनवरी, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन जिला योजना में संचालित चेकडैम का निर्माण की योजना में अनुपूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त प्राविधानित के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-1905/ल0सिं0/बजट-3/2017-18, दिनांक 03.01.2018 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत स्वीक़त चेकडैम निर्माण की योजना (जिला योजना) हेतु लेखाशीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय'05 लघु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-3500.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-950/62/2-2017-2/3 (14)/2017, दिनांक 06.07.2017 द्वारा प्रथम 05 माह हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-1249.00 लाख तथा शासनादेश सं0- 6574/62-2-2017-2/3 (14)/2017, दिनांक 26.10.2017 द्वारा धनराशि रू0-145.00 लाख संक्रमित कर पुनर्विनियोग के माध्यम से भूगर्भ जल विभाग को तथा धनराशि रू0-2106.00 लाख अवमुक्त की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रू0-3500.00 लाख अवमुक्त किये जाने के पश्चात अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-145.00 लाख के प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि रू0-3355.00 लाख के समायोजन के पश्चात् प्राविधानित धनराशि रू0-3500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-145.00 लाख (रू0-एक करोड पैंतालिस लाख मात्र) को आवंटित कर संलग्न जनपदवार फॉट को संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के अतिरिक्त् यह भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 की जिला योजना की विभागवार/जनवदवार परिव्यय निर्गत किये जाने के उपरान्त तदनुसार फॉट में समायोजित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. शासनादेश दिनांक 06.07.2017 में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

4. इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-लघु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिंचाई के अन्तर्गत् ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-12(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण एवं नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14- एन0आई0सी0 की प्रति।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-12/62-2-2018-2/3(14)/2017,दिनांक 25.01.2018 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य-व्यय-05-ल0सिं0 के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत्त निर्माण कार्य में अनुपूरक मांग से अतिरिक्त प्राविधानित धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	अतिरिक्त परिव्यय	कुल परिव्यय	पूर्व में बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	70.00		70.00	25.00	40.00	25.00	15.00
2	बागपत	60.00		60.00	25.00	10.00	25.00	15.00
3	बुलन्दशहर	570.00		570.00	125.00	125.00	125.00	0.00
4	सहारनपुर	70.00		70.00	25.00	25.00	25.00	0.00
5	मुजफफरनगर	60.00		60.00	25.00	25.00	25.00	0.00
6	शामली	254.00		254.00	75.00	75.00	75.00	0.00
7	आगरा	1050.00		1050.00	300.00	300.00	300.00	0.00
8	मथुरा	1350.00		1350.00	375.00	375.00	375.00	0.00
9	फिरोजाबाद	225.00		225.00	75.00	75.00	75.00	0.00
10	मैनपुरी	200.00		200.00	50.00	75.00	50.00	25.00
11	अलीगढ	750.00		750.00	200.00	245.00	200.00	45.00
12	हाथरस	500.00		500.00	150.00	150.00	150.00	0.00
13	एटा	50.00		50.00	25.00	50.00	25.00	25.00
14	कासगंज	60.00		60.00	25.00	25.00	25.00	0.00
15	मुरादाबाद	42.00		42.00	25.00	25.00	25.00	0.00
16	रामपुर	90.00		90.00	25.00	25.00	25.00	0.00
17	बिजनौर	180.00		180.00	50.00	50.00	50.00	0.00
18	औरैया	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
19	कन्नौज	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
20	लखनऊ	200.00		200.00	50.00	50.00	50.00	0.00
21	रायबरेली	50.00		50.00	25.00	25.00	25.00	0.00
22	इलाहाबाद	152.20		152.20	50.00	50.00	50.00	0.00
23	कौशाम्बी	110.00		110.00	25.00	25.00	25.00	0.00
24	फतेहपुर	146.00		146.00	50.00	50.00	50.00	0.00
25	प्रतापगढ	485.00		485.00	130.00	130.00	130.00	0.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	गाजीपुर	867.51		867.51	225.00	225.00	225.00	0.00
27	जौनपुर	302.00		302.00	50.00	50.00	50.00	0.00
28	मिर्जापुर	250.00		250.00	50.00	50.00	50.00	0.00
29	सोनभद्र	1007.82		1007.82	275.00	275.00	275.00	0.00
30	सुल्तानपुर	590.00		590.00	150.00	150.00	150.00	0.00
31	आजमगढ	326.00		326.00	75.00	0.00	75.00	75.00
32	झॉसी	300.00		300.00	75.00	75.00	75.00	0.00
33	जालौन	300.00		300.00	75.00	75.00	75.00	0.00
34	ललितपुर	172.40		172.40	50.00	50.00	50.00	0.00
35	हमीरपुर	250.00		250.00	50.00	100.00	50.00	50.00
36	महोबा	1000.00		1000.00	250.00	250.00	250.00	0.00
37	बॉदा	133.33		133.33	25.00	25.00	25.00	0.00
38	चित्रकूट	300.00		300.00	75.00	75.00	75.00	0.00
	योग-	**12523.86**	**75.00**	**12598.86**	**3355.00**	**3500.00**	**3355.00**	**145.00**

(रू0 एक करोड पैंतालिस लाख मात्र)

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।